

आई0 सी0 टी0 सी0 अंतर्गत एच0 आई0 वी0/एड्स से संबंधित जागरूकता एवं जांच की सुविधा हेतु
10 मोबाईल वैन किराये पर लेने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना ।

बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना, द्वारा आई सी टी सी अंतर्गत एच.आई.वी./एड्स से संबंधित जागरूकता एवं जांच की सुविधा हेतु 10 मोबाईल वैन किराये पर लेने के लिए योग्य निविदाकर्ताओं की निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. निविदा की गतिविधियां निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	निविदा का विवरण	बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना, के आई0सी0टी0सी0 अंतर्गत एच.आई.वी./एड्स से संबंधित जागरूकता एवं जांच की सुविधा हेतु 10 मोबाईल वैन किराये लेने हेतु निविदा आमंत्रण।
01	निविदा प्रपत्र की प्राप्ति	निविदा दस्तावेज BSACS के Website Portal (bsacs.bihar.gov.in) से या कार्यालय अवधि के अंदर (11 AM से 5 PM) के बीच अधिप्राप्ति शाखा से 5000 की निविदा शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। प्रोसेसिंग शुल्क पृथक देय होगा।
02	निविदा विक्रय	समाचार पत्रों तथा BSACS के Website पर प्रकाशन की तिथिसे ।
03	निविदा प्री बिड बैठक	20.04.2026—at 04:00 PM प्री-बिड हेतु किसी भी प्रकार का अनुरोध दिनांक 26.02.2026 के साथ 04:00 PM तक ही, पत्र के माध्यम से स्वीकार की जाएगी।)
04	निविदा जमा करने की अंतिम तारीख	29.04.2026— at 3:00 PM
05	निविदा खोलने की तारीख	30.04.2026—at 4:00 PM
06	वित्तीय निविदा खोलने की तारीख	तकनीकी प्रस्ताव के मूल्यांकन के बाद वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तिथि क्रय समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी। इसकी सूचना दूरभाष तथा पत्र के माध्यम से की जाएगी।

अतः इच्छुक पंजीकृत Travel एजेंसी/फर्म उपरोक्त दर्शाये गये तिथि तक अपने निविदा BSACS के Website Portal(bsacs.bihar.gov.in) से या कार्यालय अवधि (11 AM से 5 PM) के बीच अधिप्राप्ति शाखा से प्राप्त कर Technical Bid तथा Financial Bid अलग अलग लिफाफे में index numbering के साथ सूची अटैच कर उसे single लिफाफे में Sealed packing कर उपरोक्त दिए गये नियत समयानुसार BSACS (Bihar State aids Control Society) के Dispatch शाखा में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। नियत समय के उपरांत किसी भी तरह से निविदा स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

(Signature)
23/03/2024

अपर परियोजना निदेशक
बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना।

आईसीटीसी अंतर्गत एच.आई.वी./ एड्स से संबंधित जागरूकता एवं जांच की सुविधा हेतु 10 मोबाईल वेन किराये पर लेने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना ।

निविदा की मुख्य विंदुओं की सूची :-

1.	निविदा आमंत्रण सूचना	1
2.	निविदाकारों को निर्देश	3
3.	संक्षिप्ताक्षर	3
4.	निविदा का दायरा	4
5.	पात्रता मापदंड	4
6.	धरोहर राशि (EMD)	5
7.	निविदा दस्तावेज का विक्रय	5
8.	निविदा की वैधता	5
9.	निविदा तैयार करना और जमा करना	6
10.	निविदा की दरें	7
11.	निविदाएं खोलना	7
12.	निविदाओं का मूल्यांकन	7
13.	निष्पादन प्रतिभूति एवं आदेश जारी करना	8
14.	एजेंसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं	8
15.	एजेंसी के अन्य दायित्व	9
16.	लॉगबुक का रखरखाव	9
17.	कानूनी और वैधानिक अनुपालन	9
18.	भुगतान	10
19.	विशेष शर्तें	11
20.	अनुबंध और पेनाल्टी	11-12
21.	विवादों का निपटारा	13
22.	पत्रक-1 मोबाईल वेन में उपलब्ध सुविधाएं	15
23.	पत्रक-2 मोबाईल वेन का पूर्ण Specification	16-19
24.	पत्रक-3 Checklist	20
25.	पत्रक-4. (न्यूनतम 10 वाहनों की जानकारी)	21
26.	पत्रक-5. (निविदाकर्ता का पूर्ण विवरण)	22
27.	पत्रक-6. (मोबाईल वेन किराये पर लेने हेतु पत्रक)	23
28.	पत्रक-7. (Performance Security हेतु Bank Guarantee का प्रारूप)	24
29.	पत्रक-8. (फर्म को Blacklist नहीं करने के संबंध में हलफनामा)	25

I-निविदाकारों को निर्देश: (परिभाषाएँ और संक्षिप्तीकरण)**1.1 निम्नलिखित परिभाषाएँ और संक्षिप्ताक्षर**

1.1. जिनका इन दस्तावेजों में उपयोग किया गया है, के अर्थ नीचे दिए गए अनुसार होंगे।

1.2 परिभाषाएँ:

(I) "BSACS" का अर्थ है बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, 6 वीं मंजिल, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना -800014

(ii) "संविदा" का अर्थ है निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी और ठेकेदार के बीच लिखित अनुबंध, उसमें उल्लिखित सभी दस्तावेजों के साथ और उसमें सभी संलग्नक, अनुलग्नक आदि सहित।

(iii) "ठेकेदार" का अर्थ है सफल निविदाकार का चयन

(iv) "पीओ" का अर्थ है बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, 6 वीं मंजिल, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना -800014 सरकार, उपार्जन अधिकारी।

(v) "निविदा आमंत्रण प्राधिकारी" या "ग्राहक" या "निविदा स्वीकृति प्राधिकरण या संविदा प्राधिकरण या क्रेता का अर्थ है परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, जो अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में बिहार सरकार के तत्वावधान में निविदा आमंत्रित कर रहे हैं।

(vi) "निविदा" का अर्थ है किसी फर्म/निविदाकर्ता/बोलीदाता से प्राप्त बोली/कोटेशन/निविदा।

(vii) "निविदाकर्ता" का अर्थ है प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप/प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड कंपनी / सोसायटी / भारत में पंजीकृत ट्रस्ट जो बोली प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं।

(viii) "स्टार्टअप" से अभिप्रेत है, वे स्टार्टअप जिनको भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की स्टार्टअप इंडिया संस्था द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय बिहार राज्य में स्थित हो।

(ix) "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम" से अभिप्रेत है, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत परिभाषित ऐसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जिनका कार्य स्थान पर पंजीकृत कार्यालय बिहार राज्य में स्थित हो।

(xi) "PQR (Pre Qualification Requirement)" से अभिप्रेत है, निविदा हेतु निर्धारित पूर्ण अर्हता।

1.3 संक्षिप्ताक्षर:-

(i) "जीसीसी" का अर्थ है अनुबंध की सामान्य शर्तें

(ii) "जीटीआई" का अर्थ है निविदाकारों के लिए सामान्य निर्देश

(iii) "एनआईटी" का अर्थ है निविदाएं आमंत्रित करने की सूचना।

(iv) "टीई दस्तावेज़" का अर्थ है निविदा पूछताछ दस्तावेज़

(v) "टीआईए" का अर्थ है निविदा आमंत्रण प्राधिकारी

(vi) "जीएसटी" का अर्थ है माल और सेवा कर

(ix) "आर.टी.ए." का अर्थ है, रिजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी (क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी / अनुज्ञापन प्राधिकारी)

2. निविदा का दायरा:

बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना, (BSACS). (इसके बाद निविदा आमंत्रण प्राधिकरण और / या निविदा स्वीकृति प्राधिकरण और/या आदेश देने वाले प्राधिकरण के रूप में संदर्भित जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो) इच्छुक निविदाकारों द्वारा धरोहर राशि (ईएमडी) 2,00,000/- के साथ निर्धारित तिथि पर निविदा जमा की जानी चाहिए।

- (i) इच्छुक निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे निविदा दस्तावेज को सावधानीपूर्वक पढ़ लें। निविदाकर्ता सामान्य कार्यालय समय के दौरान निविदा आमंत्रण प्राधिकारी के कार्यालय से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- (ii) अंतिम तिथि को इस कार्यालय में अवकाश घोषित होने की स्थिति में, निविदा जमा करने और खोलने की निर्धारित तिथि अगले कार्यदिवस के निर्धारित समय पर होगी।

3. पात्रता मानदंड:

निविदाकारों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए:-

1. निविदाकर्ता का स्थापना पंजीयन होना आवश्यक है, इस संबंध में स्थापना पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

2. निविदाकर्ता का पटना या बिहार में कार्यालय/ शाखा होना आवश्यक है।

3. संबंधित के पास मोबाईल वेन संचालन हेतु वाहन किराये पर उपलब्ध कराने बाबत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी / अनुज्ञापन प्राधिकारी (आर.टी.ए.) द्वारा अधिकृत होना आवश्यक है, कृपया वैध प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
अथवा

यदि निविदाकर्ता के पास उपरोक्त वैध प्रमाण पत्र नहीं है तो, मोबाईल वेन संचालन हेतु वाहन किराये पर उपलब्ध कराने बाबत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी / अनुज्ञापन प्राधिकारी (आर.टी.ए.) द्वारा अधिकृत होने के संबंध में पूर्व में जारी किए गए प्रमाण पत्र की छायाप्रति तथा वर्तमान में उक्त प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु आर.टी.ए कार्यालय में आवेदन देने के संबंध में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. निविदाकर्ता का विगत पांच वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26) में से तीन वित्तीय वर्षों का औसत टर्नओवर राशि रुपये 1.15 करोड़ होना आवश्यक है।

5. निविदाकर्ता को या तो निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो। इस संबंध में पत्रक 8 में उल्लेखित प्रारूप में निविदाकर्ता द्वारा एक हलफनामा रुपये 200/-के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा।

6. निविदाकर्ता के पास, फर्म के नाम अथवा फर्म के स्वामी के नाम पर न्यूनतम 10 वाहन होना चाहिए, जिसकी जानकारी (वाहन का क्रमांक, वाहन का प्रकार, वाहन के पंजीयन की छायाप्रति, बीमा की छायाप्रति एवं वाहन के मोबाईल वेन कोटे में स्वीकृत होने की अनुमति की छायाप्रति देवे तथा आवश्यक प्रमाण संलग्न करें।

7. निविदाकर्ता के द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्षों (2023-24, 2024-25 एवं 2025-26) के दौरान किसी शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय में किसी भी अवधि के लिए मासिक / दैनिक आधार पर मोबाईल वेन / एम्बलेंस आदि उपलब्ध कराए हो। कृपया प्राप्त आदेशों की स्वयं के द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

8. निविदा के साथ संबंधित फर्म/प्रोपराईटर का पेन नंबर तथा जीएसटी नंबर संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

9. निविदाकर्ता को मोबाईल वेन की दरें, दर पत्रक 6 में अंकित करना आवश्यक है तथा 10 मोबाईल वेन (मासिक आधार पर) उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

10. प्राप्त निविदाओं में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निविदाकर्ता का चयन तकनीकी रूप से SPC (Standing purchase committee) द्वारा किया जावेगा।



4- धरोहर राशि (EMD) :-

(i) सभी निविदाकर्ताओं को निविदा के साथ राशि रुपये 2,00,000/-रुपये दो लाख मात्र) की धरोहर राशि निविदा के साथ जमा करनी होगी।

(ii) धरोहर राशि तकनीकी निविदा के साथ "परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना" (Project Director, Bihar State AIDS Control Society, Patna) के पक्ष में जमा किया जाना चाहिए।

(iii) यदि कोई निविदाकर्ता बिहार के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एम० एस० एम० ई०) तथा स्टार्टअप का पंजीयन है, तो उन्हें धरोहर राशि जमा करने की छूट दी जाएगी। हालांकि निविदा दस्तावेज शुल्क एवं निविदा प्रक्रिया शुल्क में कोई छूट नहीं दी गई है। यदि सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एम० एस० एम० ई०) तथा स्टार्टअप निविदाकार उपरोक्त सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो ई० एम० डी० की छूट केवल बिहार के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसएमई) तथा स्टार्टअप के लिए है। छूट का दावा करने के लिए, एमएसएमई / स्टार्टअप के समर्थन में प्रासंगिक वैध दस्तावेजों को निविदाकर्ता द्वारा जमा किया जाना आवश्यक है।

IV) प्रासंगिक दस्तावेज के बिना बोली को अस्वीकार किया जा सकता है अन्य राज्यों के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एम० एस० एम० ई०) तथा स्टार्टअप को धरोहर राशि से छूट नहीं है। यदि बिहार के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एम० एस० एम० ई०) तथा स्टार्टअप निविदा दस्तावेज शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं, तो ऐसी निविदाएं निरस्त कर दी जाएंगी।

क) धरोहर राशि जमा करने की छूट की अनुमति नहीं है और धरोहर राशि के बिना प्रस्तुत निविदाओं को तकनीकी बिड में निरस्त कर दिया जाएगा, यदि उपरोक्त शर्त के अनुसार फर्म को छूट नहीं दी गई है।

ख) असफल निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि, निविदा अमान्य करने तथा सफल निविदाकर्ता को कार्यादेश जारी करने के उपरांत वापस की जायेगी।

ग) धरोहर राशि जब्त की जा सकती है, यदि-

(1) कोई निविदाकर्ता, निविदा की वैधता अवधि के दौरान अपनी निविदा वापस लेता है; या

(2) सफल निविदाकर्ता के मामले में यदि निविदाकार द्वारा कार्यादेश अनुसार कार्य नहीं किया जाता है, या

(3) यदि परफॉरमेंस सिक्युरिटी जमा नहीं की जाती है, या

(4) निविदाकर्ता मूल्य बोली की सही राशि को स्वीकार नहीं करता है, जैसा भी मामला हो, उस विशेष मद के लिए बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा, और खंड संख्या 7 के अनुसार धरोहर राशि जब्त कर लिया जाएगा।

(5) कोई निविदाकर्ता किसी भी कार्य के लिए किसी भी कारण से गलत दर प्रस्तुत करता है और निविदाकर्ता गलत दरों को प्रस्तुत करने के लिए उस विशेष कार्य के लिए अपनी निविदा वापस लेता है, तो धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। यह कार्रवाई उस निविदाकार के अन्य प्रस्तुत मदों को प्रभावित नहीं करेगी।

(v) सफल निविदाकार की धरोहर राशि, नीचे पैरा 11 के अनुसार परफॉरमेंस सिक्युरिटी जमा करने के बाद वापस की जाएगी।

5-निविदा दस्तावेज का विक्रय:-

इच्छुक निविदाकारों द्वारा निविदा दस्तावेजों का पूरा सेट राशि रुपये 5000/- (रुपये एक हजार मात्र) + लेनदेन के अप्रतिदेय शुल्क प्रसंस्करण शुल्क और जीएसटी के भुगतान पर, निर्धारित मुख्य तिथि और समय के भीतर Dispatch शाखा बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, 6 वीं मंजिल, स्वास्थ्य भवन से खरीदा जा सकता है।

6-निविदा की वैधता:

(i) निविदा जमा करने की निर्धारित दिनांक के बाद 180 दिनों की अवधि के लिए निविदा मान्य होगी। इससे कम अवधि की निविदा, निविदा आमंत्रित प्राधिकारी द्वारा गैर-उत्तरदायी के रूप में अस्वीकार कर दी जाएगी।

- (ii) असाधारण परिस्थितियों में, निविदा की वैधता की समाप्ति से पहले, निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी निविदाकारों से अनुरोध कर सकते हैं कि वे निविदा की वैधता को आगे की अवधि के लिए उचित समझें। अनुरोध और उस पर प्रतिक्रिया लिखित रूप में की जाएगी।
- (iii) L1 यदि successful होता है परंतु काम करने में सक्षम नहीं है। ऐसी परिस्थिति में L2 को L1 दर पर कार्य दिया जा सकता है।

7-निविदा तैयार करना और जमा करना:-

- (i) निविदा केवल BSACS Website पर या समिति के अधिप्राप्ति शाखा से प्रत्येक कार्यदिवस को प्राप्त किया जा सकता है।
- (ii) सभी दस्तावेजों / प्रपत्रों को स्वच्छ एवं पठनीय रूप में प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित करते हुए, पृष्ठ क्रमांक सहित और सील लगाई जानी होगी।
- (iii) निविदा को दो (कवर) भागों में तैयार और जमा करने की आवश्यकता है। "कवर A तकनीकी निविदा एवं ईएमडी और "कवर-B वित्तीय निविदा।
- (iv) "कवर-A" निविदा में तकनीकी बिड में सभी आवश्यक दस्तावेज शामिल करने होंगे।

ऐसे दस्तावेजों में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होना चाहिए।

- (1) प्रपत्र-2 में दिए गए प्रारूप के अनुसार विधिवत भरी हुई चेकलिस्ट
- (2) उपरोक्त पैरा 4 के अनुसार धरोहर राशि जमा (ईएमडी)
- (3) उपरोक्त पैरा 4 के अनुसार धरोहर राशि छूट दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति।
- (4) फर्म के पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
- (5) जीएसटी विभाग में रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित प्रति।
- (6) मोबाईल वेन हेतु वाहन किराये पर उपलब्ध कराने बाबत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी / अनुज्ञापन प्राधिकारी (आर.टी.ए.) द्वारा अधिकृत होने का वैध प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।

अथवा

यदि निविदाकर्ता के पास उपरोक्त वैध प्रमाण पत्र नहीं है तो, मोबाईल वेन हेतु वाहन किराये पर उपलब्ध कराने बाबत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी/अनुज्ञापन प्राधिकारी (आर.टी.ए.) द्वारा अधिकृत होने के संबंध में पूर्व में जारी किए गए प्रमाण पत्र की छायाप्रति तथा वर्तमान में उक्त प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु आर.टी.ए कार्यालय में आवेदन देने के संबंध में शपथ पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।

- (7) विगत पांच वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 और 2025-26) का टर्नओवर, कार्यशील चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित प्रति।
 - (8) निविदाकर्ता का स्थापना पंजीयन पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
 - (9) निविदाकर्ता का बिहार में कार्यालय / शाखा होने के प्रमाण की स्वप्रमाणित प्रति।
 - (10) फर्म के नाम अथवा फर्म के स्वामी के नाम पर न्यूनतम 10 वाहनों की जानकारी (वाहन का पंजीयन क्रमांक, वाहन का मेक/मॉडल, वाहन के पंजीयन की छायाप्रति, बीमा की छायाप्रति एवं वाहन के टैक्सी कोटे में स्वीकृत होने की अनुमति) की स्वप्रमाणित प्रति। (पत्रक-3 में अंकित अनुसार)
 - (11) निविदाकर्ता के द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय में किसी भी अवधि के लिए मासिक / दैनिक रूप से उपलब्ध वाहन के कार्यादेशों की स्वप्रमाणित प्रति।
- निविदाकर्ता को या तो निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला नहीं गया है, इस संबंध में पत्रक-8 में उल्लेखित अनुसार निविदाकर्ता द्वारा एक हलफनामा रुपये 200/-के गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्र।
- 13) निविदाकर्ता का पूर्ण विवरण (पत्रक-4 में अंकित अनुसार)
 - (i) कवर B-वित्तीय बोली में प्रपत्र 6 में दिए गए प्रारूप में विधिवत दर्रे एवं कर सहित भरी हुई होना चाहिए।
 - (ii) उपरोक्त अनुसार निविदाएं निर्धारित तिथि एवं समय पर जमा की जानी चाहिए।

8-निविदा की दरें:-

- I. निविदाकर्ताओं को पत्रक-1 एवं 2 में उल्लिखित Specification पर मोबाईल वेन की सेवाएं के लिए दरें पत्रक 6 में प्रस्तुत करनी होगी। मोबाईल वेन वर्ष 2022 अथवा उसके पश्चात् के मेक / मॉडल के होना चाहिए।
- II. दरें, परिवहन, बीमा, और किसी भी आकस्मिक शुल्क सहित, (GST)को छोड़कर आवश्यक सेवाओं के लिए मूल्य अनुसूची के प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- III. प्रस्तुत दरें 01 वर्ष तक वैध है और अनुबंध की अवधि के दौरान दरें स्थिर रहेंगी। निविदा आमंत्रित करनेवाले प्राधिकारी और निविदाकर्ता के बीच पारस्परिक समझौते पर दरों की वैधता को अधिकतम 03 वर्षों तक किया जा सकता है।

9- निविदायें खोलना :

- I. निविदा आमंत्रण प्राधिकारी द्वारा क्रय समिति द्वारा निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर निविदायें खोली जाएंगी। निविदाकार या उनके प्रतिनिधि को सलाह दी जाती है कि वे निविदा खोलने के समय उपस्थित रहें।
- II. तकनीकी निविदा वाले कवर को पहले खोला जाएगा।
- III. तकनीकी निविदा में Responsive Bidder (तकनीकी आहर्ता) की ही मूल दस्तावेज खोली जाएगी उन्हें तिथि की सूचना देने के बाद खोली जाएगी।
- IV. निविदा खोलने की उपरोक्त तिथि को सरकारी अवकाश घोषित होने की स्थिति में, निविदा अगले कार्य दिवस को उसी समय खोली जाएगी।

10- निविदाओं का मूल्यांकन:

- (i) यदि निविदाकर्ता ने पूर्व में समिति में कार्य किया है एवं उसका कार्य संतोषजनक नहीं रहा है तो न्यूनतम दर होने पर भी फर्म को NON RESPONSIVE किया जा सकता है।
- (ii) निविदा आमंत्रण प्राधिकारी द्वारा गठित क्रय समिति, निविदा दस्तावेज में दी गई तकनीकी आवश्यकताओं और विभिन्न अन्य वणिज्यिक मानदंडों के संदर्भ में निविदा का मूल्यांकन करेगी।
- (iii) निविदा दरों का मूल्यांकन समग्र आधार पर किया जाएगा।
- (iv) पत्रक-5 में दर्शाए गए दरों के लिए एसजीएसटी/ सीजीएसटी/आईजीएसटी टैक्स (लैंडेड प्राइस) को मूल्यांकन और L1 निविदाकर्ता के निर्धारण के लिए विचार की जाएगी।
- (v) यदि निविदाकर्ता ने पत्रक 5 में अलग से एसजीएसटी / सीजीएसटी / आईजीएसटी कर प्रतिशत नहीं भरा है, तो यह माना जाएगा कि जीएसटी के साथ कुल राशि में एसजीएसटी / सीजीएसटी/आईजीएसटी कर शामिल है।
- (vi) वित्तीय बोली खोलने के बाद निविदा आमंत्रण प्राधिकारी द्वारा किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (vii) प्राप्त दरों में न्यूनतम दर प्रदायकर्ता का मूल्यांकन समग्र आधार पर निम्नानुसार किया जायेगा-

Bidder-1	Bidder-2	Bidder-3
A Price quoted by the Bidder for Mobile Van with Air conditioner (Top Model) 01 Driver and 01 Cleaner remuneration with Maintenance and other charges POL, maintenance and other charges. 1. Charges up to 2000 kms (Monthly Rate)-INR 20000/- 2. Per Km Charges after 2000 Kms INR 10/- 3- Night Halt charges per night (overnight stay charges when vehicle is out of station)-INR 200/-	A Price quoted by the Bidder for Mobile Van with Air conditioner (Top Model) 01 Driver and 01 Cleaner remuneration with Maintenance and other charges POL, maintenance and other charges. 1. Charges up to 2000 kms (Monthly Rate)-INR 21000/- 2. Per Km Charges after 2000 Kms INR 11/- 3- Night Halt charges per night (overnight stay charges when vehicle is out of station)-INR 200/-	A Price quoted by the Bidder for Mobile Van with Air conditioner (Top Model) 01 Driver and 01 Cleaner remuneration with Maintenance and other charges POL, maintenance and other charges. 1. Charges up to 2000 kms (Monthly Rate)-INR 21500/- 2. Per Km Charges after 2000 Kms INR 11/- 3- Night Halt charges per night (overnight stay charges when vehicle is out of station)-INR 250/-
Total Price for "A" 20000+10+200=20210	Total Price for "A" 1000+11+200=21211/-	Total Price for "A" 21000+11+250= 21761/-

Hence the bidder I will be selected as the least (L1) Bidder based on Financial quoted provided in Financial Proposal.

Note: I-Bidder shall quotes rates for Vehicle as per Financial Proposal

11-निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) एवं आदेश जारी:-

- (i) सफल निविदाकर्ता को दरें अनुमोदन संबंधी आदेश जारी होने के पूर्व 15 कार्य दिवस के भीतर आदेशित राशि की 3 प्रतिशत राशि की परफॉरमेंस सिक्युरिटी इस कार्यालय में जमा करना होगा। यदि इस अवधि में राशि जमा नहीं की गई तो जारी आदेश निरस्त कर धरोहर राशि जब्त की जा सकती है।
- (ii) निविदा की परफॉरमेंस सिक्युरिटी किसी भी वाणिज्यिक बैंक से विभाग "परियोजना निदेशक बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना" (Project Director, Bihar State AIDS Control Society Patna) में डिमाण्ड ड्राफ्ट, मियादि जमा रसीद, बैंकर्स चैक एवं irrevocable बैंक गारंटी के रूप में जमा की जा सकेगी। प्रस्तुत बैंक गारंटी का सत्यापन संबंधित बैंक से कराया जायेगा।
- (iii) निष्पादन प्रतिभूति, वारंटी बाध्यताओं सहित आपूर्तिकर्ता की सभी संविदाकृत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख के बाद 60 दिन की अवधि तक के लिए वैध होना आवश्यक है।
- (iv) निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने पर सफल निविदाकर्ता को निविदा प्रतिभूति लौटाई/समायोजित की जाएगी।
- (v) निर्धारित अनुसार प्रक्रिया/कार्य पूर्ण न कर पाने/समय सीमा में सामग्री प्रदाय न करने की स्थिति में अथवा यदि आपका आदेश इस कार्यालय द्वारा निरस्त किया जाता है तो आपकी निष्पादन प्रतिभूति जब्त कर ली जावेगी।
- (vi) उपरोक्त बिन्दु की स्थिति में संबंधित को वर्तमान वित्तीय वर्ष सहित आगामी तीन वित्तीय वर्षों तक इस समिति द्वारा जारी किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित कर दिया जावेगा। इस आशय की सूचना अन्य विभागों को भी दी जा सकती है।
- (vii) सफल निविदाकर्ता की परफॉरमेंस सिक्युरिटी कार्यावधि समाप्ति के उपरांत वापिस की जावेगी।

12. एजेंसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ

निविदाकर्ता एजेंसी को मोबाईल वेन की सेवाएँ निम्नलिखित शर्तों पर उपलब्ध कराना होगी-

1. बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना के द्वारा निर्धारित Specification (पत्रक-1 एवं पत्रक-2) के अनुसार ही मोबाईल वेन उपलब्ध कराना होगा।
2. मोबाईल वेन केवल निविदाकर्ता एजेंसी के नाम पर पंजीकृत होने चाहिए एवं केवल डीजल/पेट्रोल से संचालित होंगे।
3. मोबाईल वेन से संबंधित आवश्यक कर, अन्य बीमा, पीओसी, परमिट इत्यादि का भुगतान निविदाकर्ता एजेंसी को वहन करना होगा इस हेतु कोई भी पृथक से राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। अनुबंध अवधि के दौरान सभी वैधानिक दस्तावेज़ वैध रखे जाने चाहिए।
4. प्रत्येक मोबाईल वेन में 01 लायसेंसधारी ड्राइवर, 01 क्लिनर की व्यवस्था निविदाकर्ता एजेंसी को ही करना होगा। इन कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली मानदेय की राशि निविदाकर्ता एजेंसी को वहन करनी होगी। उक्त मानदेय हेतु इस कार्यालय द्वारा पृथक से कोई भी भुगतान नहीं किया जावेगा।
5. ईंधन टैंक हमेशा भरा रहना चाहिए और किसी भी समय, ईंधन का स्तर टैंक की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।
6. बिहार राज्य एड्स नियंत्रण पटना से नामांकित अधिकारी प्रस्तावित वाहनों का निरीक्षण करेंगे और स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा।
7. दसों मोबाईल वेन का संचालन बिहार राज्य के 09 प्रमंडलों के सभी 38 जिलों में किया जाना है।



8. संबंधित केन्द्रों पर मोबाईल वेन की प्रतिदिवस कार्य की अवधि 8 घंटे (एकल पाली) उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

9. मोबाईल वेन की सेवाएं सभी कार्य दिवसों (रविवार को छोड़कर) में उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

10. मोबाईल वेन पर जीपीएस किट की स्थापना सुनिश्चित करना होगी ताकि वेन की लोकेशन एवं चालन का सत्यापन जीपीएस निर्देशांक रिपोर्टों से प्राप्त फीडबैक के माध्यम से किया जा सके, जो इस कार्यालय को देयक के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

11. प्रत्येक चैन का प्रति माह का भ्रमण कलेंडर संबंधित जिले से सत्यापन उपरांत उपलब्ध कराना होगा।

13 एजेंसी के अन्य दायित्व:

1. एजेंसी कर, परमिट शुल्क, बीमा शुल्क आदि की दरों में वृद्धि से उत्पन्न होने वाले सभी दावों के निपटान के लिए निविदाकर्ता एजेंसी की जिम्मेदार होगी।

2. मोबाईल वेन के स्टाफ को सौंपे गए कार्यों की मॉनीटरिंग निविदाकर्ता एजेंसी को करना होगी।

14. लॉगबुक का रखरखाव:

1. निविदाकर्ता एजेंसी प्रत्येक मोबाईल वेन के लिए पृथक-पृथक लॉगबुक संधारित करना होगी। लॉगबुक में दिनांक, किलोमीटर रीडिंग, भ्रमण किए गए स्थान आदि जैसे विवरण होंगे। लॉगबुक को प्रति दिवस BSACS के द्वारा नामांकित कर्मचारियों द्वारा सत्यापित और प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। मोबाईल वेन की प्रत्येक माह चालन किलोमीटर की जानकारी बिल में उपलब्ध कराना होगी। BSACS के द्वारा नामांकित कर्मियों को किसी भी समय लॉगबुक का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

15. कानूनी और वैधानिक अनुपालन:

1. निविदाकर्ता एजेंसी सभी कानूनी और वैधानिक आवश्यकताओं जैसे वैध पीएफ पंजीकरण, ईएसआई पंजीकरण, श्रम लाइसेंस आदि का पालन करेगी। यदि उपयुक्त प्राधिकारी ऐसी कोई आवश्यकता/दावा/चालान प्रस्तुत करते हैं, तो एजेंसी को सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, जिसके लिए बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना पर कोई वित्तीय भार नहीं डाला जाएगा।

2. प्रदूषण मानदंडों, मोटर वाहन अधिनियम, जीएसटी आदि से संबंधित अनुपालन की सभी लागत, जो उस पर लागू हो, निविदाकर्ता एजेंसी द्वारा वहन की जाएगी। मोबाईल वेन का आरटीओ द्वारा जारी वैध परमिट होना चाहिए। वेन का वैध पंजीकरण, फिटनेस व्यापक बीमा (तृतीय पक्ष, संपत्ति और क्षति कवरेज सहित), परमिट और पीओसी प्रमाणपत्र आदि होना चाहिए। वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित कोई अन्य आवश्यकताएँ। अनुबंध की अवधि के लिए वाहन का चालक, यात्रियों और तृतीय पक्ष के लिए व्यापक बीमा होना चाहिए।

3. BSACS के द्वारा अपेक्षित होने पर निविदाकर्ता एजेंसी द्वारा वेन से संबंधित सभी मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा।

4. वेन चालकों के पास वैध और उपयुक्त ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।

5. दोनों वेन पर "ON DUTY OF BSACS /ON BSACS DUTY" अंकित एक प्लेट प्रदर्शित होनी चाहिए।

6. वेन चालक एवं क्लीनर को अच्छी वर्दी पहननी चाहिए और उनका व्यवहार अच्छा और विनम्र होना चाहिए।

7. सड़क दुर्घटना होने की स्थिति में पुलिस और प्रशासनिक / कानूनी प्राधिकारियां, प्रभावित पक्षों, तैनात कर्मचारियों, न्यायालयों आदि से निपटना पूरी तरह निविदाकर्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। आवश्यकता पड़ने पर BSACS का स्टाफ एजेंसी की सहायता करेगा। वाहन पर तैनात कर्मचारियों (चालक/कर्मचारी आदि) का एजेंसी द्वारा बीमा होना चाहिए।

8. निविदाकर्ता एजेंसी द्वारा वेन चालक, क्लिनर से तत्काल संपर्क के लिए उन्हें मोबाइल फोन उपलब्ध कराना होगा। इस संबंध में होने वाला खर्च निविदाकर्ता एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा।

9. सभी वाहनों पर जीपीएस किट की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी ताकि वाहनों की लोकेशन एवं चालन का सत्यापन जीपीएस निर्देशांकों से प्राप्त फीडबैक के माध्यम से किया जा सके। रिपोर्ट समय-समय पर BSACS को प्रस्तुत करनी होगी।

10. अनुबंध के लिए निविदाकर्ता एजेंसी का पटना में एक कार्यालय/शाखा होना चाहिए, साथ ही एक जिम्मेदार और सशक्त व्यक्ति भी होना चाहिए जो अनुबंध अवधि के दौरान आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध रहे। कार्यालय/शाखा ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां सड़क मार्ग से पहुँचा जा सके। कार्यालय में टेलीफोन/मोबाइल/ई-मेल सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो अनुपालन न करने पर अनुबंध रद्द किया जा सकता है।

11. निविदाकर्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके कर्मचारियों और उपकरणों की सुरक्षा के लिए सभी सावधानियां बरती जाएँ।

"भ्रष्ट आचरण" का अर्थ है खरीद प्रक्रिया या अनुबंध निष्पादन में किसी सरकारी अधिकारी के कार्य को प्रभावित करने के लिए मूल्यवान वस्तु की पेशकश, देना, प्राप्त करना या याचना करना; और। 'कपटपूर्ण आचरण' का अर्थ है खरीद प्रक्रिया या अनुबंध के निष्पादन को क्रेता के नुकसान के लिए प्रभावित करने हेतु तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण या लोप, और इसमें निविदाकर्ताओं के बीच मिलीभगत (निविदा प्रस्तुत करने से पहले या बाद में) शामिल है, जिसका उद्देश्य कृत्रिम रूप से गैर-प्रतिस्पर्धी स्तर पर निविदा मूल्य स्थापित करना और क्रेता को मुक्त एवं खुली प्रतिस्पर्धा के लाभों से वंचित करना है।

"मिलीभगत आचरण का अर्थ है दो या दो से अधिक निविदाकर्ताओं के बीच एक योजना या व्यवस्था, जिसका उद्देश्य क्रेता की जानकारी के बिना, कृत्रिम रूप से, गैर-प्रतिस्पर्धी स्तर पर निविदा मूल्य स्थापित करना है; और।

'जबरदस्ती आचरण' का अर्थ है खरीद प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रभावित करने या अनुबंध के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तियों की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना या नुकसान पहुँचाने की धमकी देना

'क्रेता किसी निविदा को अस्वीकार कर देगा यदि उसे यह पता चलता है कि निविदा के लिए अनुशंसित निविदाकर्ता ने संबंधित अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय प्रत्यक्ष रूप से या किसी एजेंट के माध्यम से भ्रष्ट या कपटपूर्ण व्यवहार किया है।

क्रेता किसी फर्म और/या व्यक्ति को अनुबंध प्राप्त करने के लिए अनिश्चित काल के लिए या एक निश्चित अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर देगा यदि उसे किसी भी समय यह पता चलता है कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से या किसी एजेंट के माध्यम से किसी अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय या उसे निष्पादित करते समय भ्रष्ट, कपटपूर्ण, मिलीभगत या बलपूर्वक व्यवहार किया है।

16. भुगतान

1. प्रति मोबाइल वेन प्रति माह 2000 किलोमीटर चलने के लिए न्यूनतम निश्चित भुगतान किया जाएगा। हालाँकि, यदि वेन के अधिक संचालन के कारण वेन का चालन प्रतिमाह न्यूनतम निर्धारित किलोमीटर से अधिक हो जाती है, तो अतिरिक्त किलोमीटर का भुगतान निविदा अनुपातिक आधार पर किया जाएगा (अर्थात् प्रत्येक पक्ष या व्यक्ति को कुल लागत के अनुपात में उसका उचित हिस्सा प्राप्त होगा)। हालाँकि, यह शर्त अन्य सभी नियमों और शर्तों के संतोषजनक पालन के अधीन है। बिलिंग अवधि कैलेंडर माह के पहले दिन से शुरू होगी।

2. सफल निविदाकर्ता के एजेंसी के रूप में चयन के बाद, अनुबंध के अनुच्छेदों में एक मूल्य अनुसूची संलग्न की जाएगी जिसके अनुसार एजेंसी को सभी भुगतान उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए किए जाएँगे। मूल्य अनुसूची में दी गई कीमतों में जीएसटी को छोड़कर सभी कर और शुल्क शामिल होंगे, जो सरकार द्वारा समय-समय पर लगाए जा सकते हैं।

3. सफल निविदाकर्ता एजेंसी प्रति माह चालान तैयार करेगा और उसे प्रत्येक आगामी माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय को संबंधित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करेगा। इस कार्यालय को चालान प्राप्त होने की तिथि से 15-20 दिनों के भीतर एजेंसी को भुगतान करने का पूरा प्रयास किया जायेगा। मोबाइल वेन में संलग्न कर्मचारियों को भुगतान की गई मासिक मानदेय, पीएफ और ईएसआईसी से संबंधित दस्तावेज चालान के साथ जमा करने होंगे।

4. संबंधित जिले में मोबाईल वेन का संचालन संबंधित जिले के नोडल अधिकारी (एड्स नियंत्रण कार्यक्रम) के निर्देशानुसार करना होगा।
5. प्रत्येक माह के मोबाईल वेन की दैनिक चालन लागू संबंधित जिले के नोडल अधिकारी (एड्स नियंत्रण कार्यक्रम) के द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
6. अनुबंध की प्रारंभिक लागत 12 महीने की अवधि के लिए मान्य होगी। मूल्य में कोई वृद्धि स्वीकार नहीं की जाएगी।
7. सभी भुगतान केवल आरटीजीएस / पीएफएमएस द्वारा किए जाएंगे।
8. BSACS. एजेंसी को किए गए किसी भी भुगतान से, लागू कानून के अनुसार, आयकर या कटौती कर या अन्य कटौती (जैसा भी मामला हो) करने का हकदार होगा, और इस प्रकार कटौती की गई राशि एजेंसी को किया गया भुगतान मानी जाएगी। BSACS इस प्रकार की गई कटौती को प्रमाणित करने वाला एक प्रमाण पत्र एजेंसी को प्रदान करेगा।
9. कार्य सौंपे जाने के आदेश के आधार पर कोई भी अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा और न ही किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से कोई ऋण लेने की सिफारिश की जाएगी।

17. विशेष शर्तें

1. दसों मोबाईल वेन पत्रक-1 में उल्लेखित Specifications के अनुसार ही होना चाहिए।
2. वाहन केवल पेट्रोल/डीजल से संचालित होगा। एजेंसी को आवश्यक कर और अन्य बीमा भुगतान करना होगा और पीओसी परीक्षण (छह महीने में एक बार) कराना होगा। अनुबंध अवधि के दौरान सभी वैधानिक दस्तावेज वैध रखे जाने चाहिए।
3. ईंधन टैंक हमेशा भरा होना चाहिए और किसी भी समय, ईंधन का स्तर टैंक के 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।
- 4 BSACS के द्वारा अधिकृत अधिकारी प्रस्तावित वाहन का निरीक्षण करेंगे और स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा।
- 5 एजेंसी द्वारा सभी वाहनों पर जीपीएस किट की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी।
6. जीपीएस निर्देशांक रिपोर्टों से प्राप्त फीडबैक के माध्यम से वाहनों की लोकेशन/चालन के सत्यापन के लिए होगा। कार्य का अनुबंध एक वर्ष के लिए होगा, जिसे परियोजना निदेशक BSACS के विवेकानुसार समान नियमों और शर्तों पर एजेंसी के संतोषजनक कार्य के अधीन दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।

18. अनुबंध और पेनाल्टी:-

1. एजेंसी को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार सौंपे गए कार्य को पूरा करना होगा और यदि कार्य अपेक्षित स्तर तक पूरा नहीं हुआ है, तो इस संबंध में चेतावनी नोटिस जारी किया जाएगा। यदि स्टेशन फिर भी काम जारी रखता है, तो प्रति घटना कुल अनुबंध मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।
2. एजेंसी द्वारा मोबाईल वेन में उपलब्ध कराए गए कर्मचारियों को हर महीने 1 से 7 तारीख के बीच सभी भत्तों सहित वेतन का भुगतान करेगी, अन्यथा 2000 रुपये प्रतिदिन का मुआवजा BSACS को वेतन भुगतान की वास्तविक तिथि तक देय होगा।
3. यदि एजेंसी द्वारा आदेशित समय पर आदेश अनुसार नियत वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया तो प्रति दिवस हेतु रुपये 2000/- की राशि आपके देयक / परफॉर्मेंस सिक्युरिटी में से काट ली जावेगी अथवा समायोजित की जावेगी।
4. सफल एजेंसी की दरें अनुमोदन होने पर, उन्हें दरें अनुमोदन दिनांक से 20 दिवस के भीतर रुपये 1000/- (रुपये पांच सौ मात्र) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध संपादित करना होगा, इस पर व्यय होने वाली राशि आपको वहन करना होगी।




5. जिन वाहन/वाहनों के लिए, जिस प्रकार के किराये हेतु दरें आमंत्रित की जा रही हैं, उनका पूर्ण विवरण संलग्न है। इसमें से कोई भी वाहन किसी भी मेक के/प्रकार के किराये पर बुलाये जा सकते हैं।
6. आपको वर्ष 2022 अथवा उसके बाद का निर्मित वाहन किराये पर उपलब्ध कराना होगा।
7. मोबाईल वेन से संबंधित समस्त maintenance (टूट-फूट, डीजल/पेट्रोल/बैटरी, टायर आदि) कर संपूर्ण जवाबदारी एजेंसी की होगी।
8. एजेंसी को वेन के प्रशिक्षित driver निर्धारित युनिफार्म, जिसके पास वैध लायसेंस हो, जिनका व्यवहार सौम्य, मधुर हो, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, को उपलब्ध कराना होगा। वेन के समस्त कर्मचारियों के चरित्र एवं पुलिस वेरीफिकेशन की समस्त जबाबदेही एजेंसी की होगी। यदि वेन चालक अथवा अन्य कर्मचारियों का चरित्र संदेहास्पद पाया जाता है तो आपको तत्काल उसे परिवर्तित करना होगा।
9. यदि किसी अवसर पर यह पाया जाता कि एजेंसी के वाहन चालक अथवा अन्य कर्मचारियों द्वारा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के साथ अश्रद्धा की जाती है तो उसे बदलना होगा अन्यथा उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए उसका ड्रायविंग लायसेंस निरस्त करने हेतु संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में शिकायत की जा सकती है।
10. कार्यालय द्वारा वाहन चालक की अनुपस्थिति की सूचना देने पर, वाहन चालक की उपलब्ध संबंधित फर्म को तत्काल सुनिश्चित करना होगा।
11. वाहन को रात्रि में आपको उसी स्थान पर पार्क करना होगा जहां कि समिति के संबंधित अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जावेगा।
12. किराये पर लगाए जाने वाले वाहन में पर्याप्त ईंधन एवं वाहन चालक के पास टोल टैक्स/पार्किंग, वाहन के कर्मचारियों के स्वयं के व्यय आदि के भुगतान हेतु निर्धारित राशि उपलब्ध होना चाहिए, इस हेतु वाहन के उपयोग करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को अनावश्यक परेशान नहीं करना होगा। यदि ईंधन, टोल टैक्स/पार्किंग शुल्क के भुगतान हेतु संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को परेशान किया जाता है तो प्रति अवसर हेतु राशि रुपये 2000/- (रुपये दो हजार मात्र) की पैनाल्टी आपको किए जाने वाले भुगतान से/ परफॉरमेंस सिक्युरिटी से समायोजित की जा सकती है।
13. आपके द्वारा किराये पर लगाए जाने वाले वाहन का एसी नियमित रूप से चालू रहना चाहिए। यदि वाहन का AC बंद पाया जाता है तो प्रतिदिवस हेतु राशि रुपये 2000/- (रुपये दो हजार मात्र) की पैनाल्टी आपको किए जाने वाले भुगतान से/ परफॉरमेंस सिक्युरिटी से समायोजित की जा सकती है।
14. आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर (यथा-गाड़ी की रीडिंग बढ़ाये जाने/माईलोमीटर में गड़बड़ी किये जाने एवं वाहन चालक के कार्य एवं व्यवहार की शिकायत) एवं शिकायत होने पर, शिकायत की पुष्टि पाये जाने पर प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तत्काल अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
15. अनुबंध निरस्त होने/आदेश निरस्त होने की स्थिति में, निविदाकर्ता की परफॉरमेंस सिक्युरिटी जब्त करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष सहित आगामी तीन वित्तीय वर्षों में इस कार्यालय से जारी होने वाली किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित किया जा सकता है एवं इसकी सूचना अन्य विभागों को भी दी जा सकती है।
16. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहन के/उससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की स्थिति में उसका पूर्ण दायित्व निविदाकर्ता एजेंसी का ही होगा। वाहन का जीवित बीमा भी होना अनिवार्य होगा।
17. यदि एजेंसी द्वारा दिया गया वाहन कभी खराब अथवा दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है एवं उसकी खराबी में यदि एक घण्टे से अधिक का समय लगना संभावित है तो तत्काल 2 घण्टे के भीतर अन्य वाहन आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना होगा अन्यथा वाहन उपलब्ध न कराने पर राशि रुपये 200/- प्रतिघण्टा के मान से प्रति वाहन का कटौती किया जायेगा।
18. किराये पर वाहन चलाने के लिये प्रशासन द्वारा नियत समस्त अनुमति/अनुमतियां निविदाकर्ता एजेंसी ही स्वयं के व्यय पर प्राप्त करना होगी।



19. आपको वाहन किराये पर लगाने के संबंध में सबलेटिंग की अनुमति नहीं होगी।
20. समिति द्वारा, आवश्यकता होने पर किसी भी प्रपत्र के मूल दस्तावेज आपसे बुलाये जा सकते हैं।

19. विवादों का निपटारा:

- (1) सेवा ग्रहणकर्ता और आपूर्तिकर्ता अनुबंध के तहत या उसके संबंध में उनके बीच उत्पन्न होने वाली किसी भी असहमति या विवाद को सीधे अनौपचारिक बातचीत द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का हर संभव प्रयास करेंगे,
- (ii) निविदा आमंत्रण प्राधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई भी निविदाकार आदेश प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर परियोजना संचालक को प्रतिनिधित्व कर सकता है और परियोजना संचालक शीघ्रता से अपील का निपटारा करेगा।
- (iii) जब तक निविदा प्रक्रिया में है और निविदा को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है और सेवा ग्रहणकर्ता द्वारा सेवा प्रदाय का आदेश जारी नहीं किया जाता है, तब तक कोई अपील नहीं की जाएगी।
- (iv) निविदा या आदेशों से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में, उसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार निपटारा जाएगा। मध्यस्थता का स्थान निविदा आमंत्रण प्राधिकारी का कार्यालय होगा।
- (v) निविदा या आदेशों से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में ऐसा विवाद बिहार पटना के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा जो निविदा आमंत्रण प्राधिकारी के स्थान के नजदीक है।
- (vi) किसी भी स्थिति में BSACS वर्तमान निविदा से "arising out of" या "in relation to" के संबंध में लाभ के नुकसान, बचत की हानि, या आकस्मिक, अप्रत्यक्ष, विशेष या परिणामी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- (vii) वर्तमान निविदा में न तो BSACS किसी भी दावे, हानि, लागत, किसी भी प्रकृति के नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा और न ही निविदाकर्ता किसी भी कारण या कारणों के लिए खर्च का दावा करेगा, जिसमें out of या in relation to के संबंध में उत्पन्न होने वाली कोई कानूनी देयता शामिल है।
- (viii) विनिर्देश सहित निविदाकर्ता द्वारा दी गई सेवाओं और आपूर्ति में किसी भी कमी के लिए निविदाकर्ता पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और निविदाकार BSACS को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (ix) BSACS की अधिकतम देयता इस निविदा दस्तावेज की शर्तों के अनुसार श्रमिकों की सेवा के भुगतान की सीमा तक सीमित होगी। BSACS किसी अन्य वित्तीय दायित्व जैसे विलंब पर ब्याज आदि को वहन नहीं करेगा।
- यदि निविदाकर्ता उपरोक्त उल्लेखित शर्तों की अधीन कार्य करने के लिए सहमत है, तो कृपया आप निर्धारित अनुसार प्रस्ताव देने का कष्ट करें।
- (परियोजना संचालक द्वारा अनुमोदित)


अपर परियोजना निदेशक
बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना

मोबाईल वेन के कार्य एवं Specifications

S.N.	Description	Requirement
1.	Van/Model: Petrol or Diesel Operated only	As per Technical Specification for NACO (पत्रक-2) (Manufacturing year 2022 or after)
2.	Place of work	Bihar State
3.	Required No.	10 Mobile Vans
4.	Working days	06 days in a week (Sunday Holiday)
5.	Working Hours	8 hrs. (1 shift)
6.	Van Operator	One Driver and One Cleaner
7.	Technical Staff	One Lab Technician and One Counsellor Provided by BSACS
8.	Facilities to be provided in the vehicle by the agency	T.V. for display
		Small Table to be placed towards the vehicle back
		12V Plug point for operating
		First Aid/ Drug cabinet (with first Aid articles including necessary medicines, Pain Killer, Bandage, Cotton etc.)
		Attendant Seat
		Safety: Fire extinguisher (dry powder type) and First Aid Box
		Installation of GPS kit on all the Vehicle shall be done by the Agency for verification of the deployment/movement of Vehicles.

मोबाईल वेन का स्पेसिफिकेशन
(AS per NACO, Technical Specification,)

S.N.	Name of the Parts	Technical specification	Quantity if any specific
1.1.1	Engine type	BS-6	
1.1.2	Displacement (Engine capacity in CC)	2500-3500CC, minimum 4 cylinder	
1.1.3	Engine power (Itax Output)	54 KW or higher	
1.1.4	Torque in Nm/	200 Nm or above	
	Transmission:		
1.1.5	Type	Manual Synchromesh	
1.1.6	No. Of Gears	Minimum 5 forward and one Reverse	
1.1.7	Axles :		
1.1.8	Front	Semi Elliptical Multiyear Spring	
1.1.9	Rear	Semi Elliptical leaf? Multiyear Spring	
	Steering:		
1.1.10	Type	Power steering	
1.1.11	Turning Radius		
	Suspension:		
1.1.12	Front	Semi Elliptical Multiyear Spring	
1.1.13	Rear	Semi Elliptical leaf/Multiyear Spring	
	Brakes:		
1.1.14	Type	Hydraulic, Dual Circuit, ABS with EBD	
1.1.15	Front	Disc	
1.1.16	Rear	Disk/Drum Brakes	
1.1.17	Parking	Mechanical on rear wheels	
	Wheels and Tyres:		
1.1.18	Size	15" or larger rim	
1.1.19	Tyre types	4+1 (2 tyres front and 2 tyres rear with one tyre.)	
	Dimensions		
1.1.20	Wheelbase in mm	Minimum 3300	
1.1.21	Overall length in mm	Upto 5550	
1.1.22	Overall width in mm	1900 to 2200	
1.1.23	Ground Clearance in mm	Minimum 200 mm and above	
1.1.24	Payload capacity	Minimum 2500 kgs	
1.1.25	Fuel Tank Capacity	Minimum 70 litre (Diesel)	
1.1.26	Vehicle Approved under	CMVR approved under, category 'M'	
1.1.27	Frame and Chassis	Monocoque Chassis with Ladder type Box Section Tabular Cross Braces	
	Other Features:		
1.1.28	Colours of Vehicle	White or super white	
1.1.29	Air Conditioning	Driver as well s passanger cabin should be Air conditioned.	
	Body Technical Specifications:		
2.	General requirement		
2.1.1		The assembly, sub-assembly and equipment should be integrated in such a way to enable the vehicle function in a reliable way and in a sustained fashion with durability. and ensuring safety and comfort to occupants.	
2.1.2		The design of the vehicle and the specified requirements shall permit accessibility for servicing/replacement and adjustment of components/parts and accessories, with minimum disturbance to other components and systems'.	
2.1.3		The base vehicle with all accessories should be brand new standard commercial products, tested and certified to meet the necessary application requirement in terms of load. The bidder should enclose all necessary brochures, certifications, and proofs in this regard along with the technical bid.	
2.1.4		Linter-framework should be designed in such a wat that it supports the M-	

		ICTC body rigidly and withstand tensional loads under full dynamic conditions. It should ensure optimum stability of the complete construction of the M-ICTC along with complete fitments as well as passengers inside in both static as well as dynamic load situations.	
2.1.5		The overall dimensions of M-ICTC body cabin (lab testing and counseling area excluding the driver cabin) shall be in the range of 1900 to 2200mm of Width, 2200 mm to 2500 mm in height and up to 4200 mm in length. All over inside height of the vehicle i.e. roaming gap between floor and ceiling will minimum 1950 mm.	
2.1.6		Provision for curtains as indicated in the diagram	
2.1.7		WS Glass-Single piece laminated for clear visibility, as per body profile.	
2.1.8		The bidder should have the Mobile ICTC Van (Passenger/Medical Utility Bus Body) fabrication facility as per ISO9001:2008 or equivalent certified facilities. The bidder must fulfill the minimum requirements of ISO standards, criteria of fabrication.	
2.1.9		External paint and logo shall be as prescribed by NACO.	
1.2	Specification for the type of body		
2.2.1		Body building of Mobile Unit shall be in accordance AIS 052.	
2.2.2		Fabrication of Body final as Bus.	
2.2.3		Complete body should be minimum 20 gauge ingalvanized steel.	
2.2.4		Aluminum anti-skid Flooring (14 gauge).	
2.2.5		Interior finished with Aluminum Composite panel (ACP) Sheet.	
2.2.6		Insulation in ceiling and side wall.	
2.2.7		Channel & Pipe Standard: As per the standard for mobile health unit.	
2.2.8		Paint quality should as per automotive industry standard & colour according to the procuring agency.	
2.2.9		The body should be made from sandwich construction bolted to inter-framework, which shall be connected to the chassis. The walls should be made up of joint less sandwich elements. Outer and liner Skin should have a minimum thickness of '1.4mm.	
2.2.10		The body corners should relate to a corner cap.	
1.3	Flooring		
		The construction of the floor should be the same as those of the body walls as specified above but with additional layers of marine grade plywood in between the outer skin, inner skin and the insulation layer.	
2.3.1		The top layer of the floor should be made from minimum 1.5 mm thick Anti-skid PVC vinyl matting or FRP/ABS with Antiskid coating may also be used as the final covering.	
2.3.2		Joints if any should be properly sealed so that it will not accumulate any dust and facilitate easy cleaning	
2.3.3			
2.3.4		In normal usage condition the openings/Joints should be congruently matched with the floor hygienically and sestheticly, so that there is no chance of dust and pollution through that opening to the inside environment of the M-ICTC	
1.4	Roof		
2.4.1		The construction of the roof should be the same as those of the body walls as specified above but with additional reinforcement for mounting air conditioning unit, ceiling lamps, fan and other devices to be mounted to it	
2.4.2		All the cables and conduits in the ceiling should be completely concealed in its manufacturing and should not be visible either on the inside surface or on the outside surface of the ceiling	
1.5	Doors		
2.5.1		There should be one exit door on the left- hand side of the M-ICTC	
2.5.2		There should be one entrance door at the rear side of the M-ICTC	
2.5.3		The door should be designed as toafford easy release and preventaccidental opening.	
2.5.4		The door should be locked at its fully open and closed position.	
2.5.5		All hardware should be standard for passenger vehicle usage.	
2.5.6		the key slot must have an integrated aperture to close the key slot.	
2.5.7		The lock must have two locking points (dual lock system for passenger vehicle use) at both the ends vertically (top and bottom) operated/actuated by the one handle.	
2.5.8		The entrance and exit doors should have a foldable Staircase. The staircase must have locks to keep it in folded condition when not in use and fully protected from any accidental opening when the M-ICTC is in motion.	
2.5.9		Two number of pipe handles on each gate to help the passengers/clients embark/disembark.	
2.5.10		One call or ring bell near the driver along with burtons near the testing and counseling areas.	
1.6	Windows		

2.6.1		The M-ICTC should have two windows on one side of bus with sliding glasses, size sufficient for natural light, ventilation and visibility from the bus, as per your layout.	
2.6.2		The windows should have provision for curtains/blinds The tinted glass should be set in an acceptable manner in a sturdy durable electrostatic powder painted, automotive grade in aluminum frame.	
1.7	Wiring, Electrical Distribution Points & Lighting		
2.7.1		All wires shall be concealed and so arrange that they can be readily inspected and renewed without affecting the finish of the vehicle.	
2.7.2		The wires shall be PVC insulated wires confirming to standardization.	
2.7.3		The earth return system should be used for body wiring.	
2.7.4		There shall be adequate number of lighting elements in all the areas, emitting white light meant for general lighting of the compartment, preferable installed in the roof of M-ICTC.	
2.7.5		There should be one 12V DC operated, minimum 6" wall ceiling mounted fans for each compartment like counseling arra, examination area and blood collection area.	
2.7.6		The testing compartment should have minimum number of power sockets required for various techmeal and general equipment in the M-ICTC. Each compartment of the van to have adequate number of power sockets for general use.	
1.8	Awning: To be installed as permitted.	The M-ICTC shall preferably have one sturdy and retractable awning with extra strong lightweight, white-coated aluminum structure on the driver side.	
2.8.1		Extendable Teflon coated PVC top awning 14"x8" with retractable aluminum, section structure on driver side.	
2.8.2		Awning shall be silent while opening/closing and travelling and should be motorized in operation based on 12V DC allowing one touch operation for opening and closing of the awnings and should also be able to manually operated in case of malfunction of motorized operation.	
2.8.3		Fabric shall be Vinyl UV resistant waterproof and washable, colour as per the client.	
2.8.4		The awning must have supporting legs in the fully open condition for support.	
2.8.5		The manual operation should be placed at suitable height for ease of access and operation.	
2.8.6			
1.9	Interior and Equipment Required		
		(All the items mentioned bellow should be provided and suitably fitted by the bidder in compliance of Motor Vehicle Act/Rules so as to be registered in appropriate category).	
	Air conditioning System	Air Conditioning System Run on Vehicle Engine with 1 appropriate ducting system for cooling of the driver as well as passenger cabin compartment. The AC system should run from vehicle engine as well as generator when stationed. The condenser shall be mounted on the roof top. AC system shall be certified for passenger vehicle usage. Note: Any new standard system should be proposed by the bidder for technical review.	
2.9.2	Cabin	The rear cabin shall be divided into two compartment 2 counseling and lab testing as per the diagram.	
2.9.3	Work station with power ports Bed.	Table and Chairs	03 tables and 04 chairs
2.9.4	Bed	6 ft. long as per the layout.	1 seat for 4 people
2.9.5	Seating	The M-ICTC area will have automotive standard transport grade seats for minimum four persons' The seats should be comfortable and with complete back support and as per the layout attached.	1
2.9.6	Storage	Almirah with locks as per the layout attached.	1
2.9.7	Wash Basin	Wash basin with SOAP DISPENSER	
2.9.8	Towel Hanger	Towel Hanger	1
2.9.9	Water Tank	Water storage Tank, minimum 20 ltrs	1
2.9.10	Wastage Tank	Water Wastage Tank, plastics	3
2.9.11	CURTAIN	Curtain as per layouts	1
2.9.12	Dispenser	Condom Dispenser	
2.9.13	PA System and speaker	Public address system with minimum 100 Watt RMS. 4 external weather-proof speakers of appropriate power, positioned in external body adequately protected by moisture and injury along with a mic and system.	
2.9.14	Television	LED TV, with remote control, at least 43 inches, Full HD, USB compatible, mounted, with proper metal casing and padding, with metal shutter for protection.	
2.9.15	Generator	The M-ICTC shall be supplied with minimum 5-7 KVA I Gen-Set petrol generator of suitable power rating to run.all electrical items of the vehicle	

		including air conditions, room lighting, medical equipment with pure sine wave output. The generator should be conforming to standards prescribed under environmental protection act and with the rules as applicable.	
2.9.16	Refrigerator	100 Ltr frost free Refrigerator with a digital temperature 1 meter, should run with and without the generator running.	
2.9.17	Dustbin	Biomedical waste colour coded bins, foot operated and 3 colour coding should be as per the latest Biomedical Waste (Management and Handling) Rules.	
2.9.18	First Aid Kits	Medium size first aid box for minor injuries.	
2.9.19	Fire Extinguisher	Fire extinguishers, Clear Agent (5kg) One fitted near 2 driver seats and one in back medical cabin, it should be clearly visible and have easy access for use. Fire extinguisher should meet BIS 13849-1993 or the latest Portable and able to be installed outside as well as inside of the cabin.	
2.9.20	Suggestion Box	Portable and able to be installed outside as well as inside of the cabin.	
2.9.21	Towing Hook	To be provided accordingly.	
2.9.22	Drinking water	Appropriate space for installation of water dispenser.	
2.9.23	Desirable	All other requirements including Safety requirements as per the Automotive industry Standards and Motor Vehicle Act/Rules.	

कवर-A

क्रमांक	निविदा दस्तावेज	"है" में जबाब	"नहीं" में जबाब	पृष्ठ संख्या
1.	प्रपत्र-2 में दिए गए प्रारूप के अनुसार विधिवत। भरी हुई चेकलिस्ट।	है	नहीं	1
2.	धरोहर राशि रुपये 2,00,000/- (ईएमडी)	है	नहीं	
3.	धरोहर राशि छूट दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति।	है	नहीं	
4.	निविदाकर्ता का स्थापना पंजीयन पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।	है	नहीं	
5.	निविदाकर्ता का भोपाल में कार्यालय/शाखा होने के प्रमाण की स्वप्रमाणित प्रति।	है	नहीं	
6.	जीएसटी विभाग में रजिस्ट्रेशन की की स्वप्रमाणित प्रति।	है	नहीं	
7.	मोबाईल वेन किराये पर उपलब्ध कराने बाबत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी/अनुज्ञापन प्राधिकारी (आर.टी.ए.) द्वारा अधिकृत होने का वैध प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति। अथवा यदि निविदाकर्ता के पास उपरोक्त वैध प्रमाण पत्र नहीं है तो, मोबाईल वेन किराये पर उपलब्ध कराने बाबत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी/अनुज्ञापन प्राधिकारी (आर.टी.ए.) द्वारा अधिकृत होने के संबंध में पूर्व में जारी किए गए प्रमाण पत्र की छायाप्रति तथा वर्तमान में उक्त प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु आर.टी.ए कार्यालय में आवेदन देने के संबंध में शपथ पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।	है	नहीं	
8.	विगत पांच वित्तीय वर्षों (2020-21 2021-22, 2022-23 2023-24 एवं 2024-25) का टर्नओवर, कार्यशैल चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित।	है	नहीं	
9.	फर्म के नाम अथवा फर्म के स्वामी के नाम पर न्यूनतम 02 वाहनों की जानकारी (वाहन का क्रमांक, वाहन का प्रकार, वाहन के पंजीयन की छायाप्रति, बीमा की छायाप्रति एवं वाहन के टैक्सी कोटे में स्वीकृत होने की अनुमति) की स्वप्रमाणित प्रति। (पत्रक-3 में अंकित अनुसार) निविदाकर्ता के द्वारा विगत दो वित्तीय वर्षों के दौरान किसी शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय में किसी भी अवधि के लिए मासिक / दैनिक रूप से उपलब्ध वाहन के कार्यदेशों की स्वप्रमाणित प्रति।	है	नहीं	
10.	निविदाकर्ता के द्वारा विगत दो वित्तीय वर्षों के दौरान किसी शासकीय/अशासकीय/अर्द्ध शासकीय कार्यालय में किसी भी अवधि के लिये मासिक/दैनिक रूप से उपलब्ध वाहन के कार्यदेशों की स्वप्रमाणित प्रति।	है	नहीं	
11.	निविदाकर्ता को या तो निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला नहीं गया है। इस संबंध में निविदाकर्ता द्वारा एक हलफनामा रुपये 200/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्र (प्रपत्र-7 के प्रारूप में)।	है	नहीं	
12.	निविदाकर्ता का पूर्ण विवरण (पत्रक-4 में अंकित अनुसार)	है	नहीं	

फर्म का नाम.....

फर्म के स्वामी/अधिकृत के हस्ताक्षर.....

नाम.....

दिनांक.....

पता.....

फोन नं./मो.नं.....

निविदाकर्ता के पास न्यूनतम 10 वाहनों की निम्नानुसार जानकारी संग्रह करें।

क्रमांक	वाहन क्रमांक	वाहन का मेक /मॉडल	वाहन का पंजीयन क्रमांक	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि को वाहन की कुल चालन (कि. मी.) में।	वाहन का बीमा क्रमांक	वाहन के टैक्सी कोटे में स्वीकृति का विवरण	संग्रहक क्रमांक

फर्म का नाम.....

फर्म के स्वामी/अधिकृत के हस्ताक्षर.....

नाम.....

दिनांक.....

पता.....

निविदाकर्ता का पूर्ण विवरण

क्रमांक	फर्म की विवरणी	खाली स्थान बिडर द्वारा भरा जाना है
A-1	फर्म का नाम:	
2.	फर्म का पूर्ण पता:	शहर का नाम ----- जिला----- राज्य----- पिन नं० -----
3.	फर्म का दूरभाष, मोबाईल नं, ईमेल:	दूरभाष----- मोबाईल नं----- ईमेल-----
4.	फर्म का ईमेल आईडी:	
5.	फर्म का पंजीयन क्रमांक:	
	PAN No.	
	GSTIN No.	
B	बैंक खाते की जानकारी	
1.	खाताधारक का नाम	
2.	बैंक का नाम	
3.	शाखा का नाम	
4.	आईएफएस कोड	
5.	खाता क्र.	

फर्म के स्वामी/अधिकृत के हस्ताक्षर...

नाम.

दिनांक..

पता.

फोन नं./मो.नं.

दर पत्रक

(मासिक आधार पर मोबाईल वेन किराये पर लेने हेतु)

पत्रक-6

क्रमांक	कार्य का विवरण	संख्या	इकाई	बेसिक दर	जी एस टी %	जी एस टी राशि	कुल राशि कर को छोड़कर	कुल राशि कर सहित
1.	Price quoted by the Bidder for Mobile Van with (As per Annexure-1) 01 Driver and 01 Cleaner remuneration with POL, Maintenance and other charges.							
2.	Charges up to 2000 kms 01 (Monthly Rate)	01	No					
3.	Per Km Charges after 2000 01 Nos Kms.	01	No					
4.	Night Halt charges per night (overnight stay charges when vehicle is out of station).	01	No					
Grand Total amount (in Rs.) (1+2)								

नोट:- उक्त दरों में पथकर एवं पार्किंग शुल्क को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार के कर, सर्विस टैक्स एवं वेन संचालन संबंधित समस्त व्यय, वेन में संलग्न 04 कर्मचारियों का मानदेय आदि सम्मिलित हैं।

मेरे द्वारा आपके कार्यालय के पत्र क्र. एफ 27-2012/उपार्जन/एड्स/2026/दिनांक 27 में उल्लेखित नियम एवं शर्तें ध्यानपूर्वक पढ एवं समझ ली गई है, मैं उक्त दरों पर एवं इन नियम एवं शर्तों पर वाहन की सेवाएं देने के लिए सहमत हूं।

फर्म का नाम..

फर्म के स्वामी/अधिकृत के हस्ताक्षर..

नाम

दिनांक.....

पता

फोन नं./मो.नं..

BANK GUARANTEE FORM FOR PERFORMANCE SECURITY

To,
Project Director, Bihar State AIDS Control Society, Patna, Department of Public Health & Family Welfare, Bihar.

WHEREAS (Name and address of the supplier) (Hereinafter called "the supplier") has undertaken, in pursuance of to supply contract no dated (description of goods and services) (herein after called "the contract")

AND WHEREAS it has been stipulated by you in the said contract that the supplier shall furnish you with a bank guarantee by a scheduled commercial bank recognized by you for the sum specified therein as security for compliance with its obligations in accordance with the contract;

AND WHEREAS we have agreed to give the supplier such a bank guarantee;

NOW THEREFORE we hereby affirm that we are guarantors and responsible(Amount to you, on behalf of the supplier, up to a total of Rs. of the guarantee in words and figures), and we undertake to pay you, upon your first written demand declaring the supplier to be in default under the contract and without cavil or argument, any sum or sums within the limits of (amount of guarantee) as aforesaid, without your needing to prove or to show grounds or reasons for your demand or the sum specified therein,

We hereby waive the necessity of your demanding the said debt from the supplier before presenting us with the demand.

We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the contract to be performed there under or of any of the contract documents which may be made between you and the supplier shall in any way release us from any liability under this guarantee and we hereby waive notice of any such change, addition or modification.

This guarantee shall be valid up to 18 (eighteen) months from the date of Notification of award i.e. up to-----
-(Indicate date).

(Signature with date of the authorised officer of the Bank)

Name and designation of the officer

Seal, Name & Address of the Bank and address of the Branch

BLACKLISTING AND PENDING SUIT DECLARATION

(on Non-Judicial paper of INR 100/-duly notarized by Notary Public/First Class Magistrate)

AFFIDAVIT

I/We.. (Full name in capital letters starting with surname), the Proprietor/ Partner /Managing Director/Holder of power of attorney of-----the business, establishment/firm/registered company do hereby, in continuation of the terms and conditions underlying the RFP document and agreed to by me/us, give following undertaking.

1. It is declared that the firm.is not declared insolvent any time in the past. Not debarred/black listed by either BSACS/NHM-Bihar /Central Govt./State Govt./Public Sector Undertaking any other local body till completion of the Selection Process under this RFP document nor convicted under the provision of Indian Penal Code, 1860 or Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018, nor any criminal case is pending against me us in any court of law
2. It is further declared that the firm----- shall inform BSACS of any such pending suits enquiry/ investigation against the Bidder in any court of law, legal authority, paralegal authority which may hamper the execution of works under this RFP.
3. The firm-----do hereby agree that if in future, it comes to the notice of MPSACS/if it is brought to the notice of MPSACS that any disciplinary/ penal action due to violation of terms and conditions of the RFP document/Agreement which amounts to cheating/depicting of malafide intention during the completion of the contract anywhere in BSACS or either by any of NHM-Bihar/Central Govt./State Govt./Public sector undertaking/any other local body, BSACS will be at discretion to take appropriate action as its finds fit.

Full name and complete address with Signature of Authorised Signatory

WITNESS:

(1) Full Name.-----

And Address.-----

Signature.-----

(2) Full Name.-----

And Address.-----

Signature.-----

{Location, Date}